सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 15, मंगलवार, शाके 1944-अप्रेल 5, 2022
Chaitra 15, Tuesday , Saka 1944- April 5, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रिंयाबड़ी, जिला-नागौर

प्रपत्र - 7

(धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत घोषणा एवं सार)

नियम 16 के उपनियम-(1) देखें

घोषणा

रिंयाबड़ी, फरवरी 22, 2022

संख्या- प.7(513)एस.एच.ए./पीपीपी/2020-21/डी-1923: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि नसीराबाद-मांगलियावास-पादूकलां (राज्य राजमार्ग संख्या-102) को पी.पी.पी. मोड के अन्तर्गत विकसित किये जाने हेतु लोक प्रयोजन के लिए जिला-नागौर, तहसील-रिंयाबड़ी के ग्राम- सैसडा में कुल **1.2160 हेक्टयर** भूमि की आवश्यकता है।

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 में विहित है, प्रक्रिया अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है ।

अतः उपरोक्त परियोजना के लिये जिला-नागौर, तहसील-रिंयाबड़ी के ग्राम- सैसडा में कुल **1.2160 हेक्टयर** भूमि अधिसूचित की जाती है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का विवरण निम्नलिखित है:-

अनुसूची

नसीराबाद-मांगलियावास-पादूकलां (राज्य राजमार्ग संख्या-102) परियोजना हेतु भूमि अवाप्ति की धारा-11, रिंयाबड़ी तहसील, भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रिंयाबड़ी जिला-नागौर में प्रभावित खसरों की सूची।

क्र. सं.	सर्वेक्षण (खसरा) संख्या	संपूर्ण क्षेत्रफल (हे.)	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता
ग्राम- सैसडा						
1	680	4.4700	सरकारी	गै.मु. गोचर	0.2640	चारागाह हिस्सा-पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु
2	678	1.7100	सरकारी	गै.मु. गोचर	0.2800	चारागाह हिस्सा-पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु
3	696	0.5200	सरकारी	गै.मु.	0.1600	चारागाह हिस्सा-पूर्ण चरागाह व अन्य

				गोचर		सामान्य काम हेतु
4	697	0.3200	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.1600	राजस्थान सरकार
5	687	2.1200	निजी	बारानी उत्तम बी	0.3520	भँवरलाल पुत्र माँगूराम हिस्सा-पूर्ण जाति-जाट सा. देह खातेदार

भूमि योजना का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रिंयाबड़ी, जिला-नागौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.) सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारीयों को अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने तथा तलमापन करने, अवमृदा के भीतर खोदने या भेदन करने तथा वह समस्त कार्य, जो धारा 12 में वर्णित है, को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति अधिसूचित भूमि के क्रय/विक्रय संबंधी कार्य इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् बिना उपखण्ड अधिकारी, रिंयाबड़ी, जिला-नागौर की पूर्वानुमति के नहीं करेगा।

इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस में यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को भूमि अर्जन से संबंधित कोई आपत्ति है तो अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रिंयाबड़ी, जिला-नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।

भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
रिंयाबड़ी (नागौर)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।